



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]

नई दिल्ली, बुधस्पतिवार, जनवरी 24, 2013/माघ 4, 1934

No. 226]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2013/MAGHA 4, 1934

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

(उत्प्रवास अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2013

का.आ. 242(अ).—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पी. वराह कुमार, उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय, कोच्चि में सहायक को, श्री एल. एडोल्फस, उत्प्रवास संरक्षी (कोच्चि) के अवकाश पर होने के कारण, उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय, में चार दिन, अर्थात् 26-12-2012 से 29-12-2012 तक के लिए उत्प्रवास संरक्षी, कोच्चि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

[फा. सं. जेड-11025/27/2012-उत्प्रवास]

आर. बुहरिल, उत्प्रवासी महासंरक्षी

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

(Emigration Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2013

S.O. 242(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Emigration Act, 1983, Shri P. Varaha Kumar, Assistant in the office of the Protector of Emigrants, Kochi is hereby authorized to officiate as Protector of Emigrants, Kochi for 4 days i.e. from 26-12-2012 to 29-12-2012 being on leave of Shri L. Adolphus, POE (Kochi).

[F. No. Z-11025/27/2012-Emig]

R. BUHRIL, Protector General of Emigrant